

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A

प्रलिस के लयः

[सर्वोच्च न्यायालय](#), [नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A](#), [NGO](#), [वर्ष 1985 का असम समझौता](#), [बांग्लादेश मुक्तसंग्राम](#).

मेन्स के लयः

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A की वशिषताएँ, असम समझौते से संबन्धित मुद्दे, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A के संबन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के नहऱितार्थ ।

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने [नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 6A](#) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो **असम में रहने वाले बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है**, तथा इसे बंधुत्व के प्रस्तावना मूल्य से जुड़ा एक वैध कानून माना है ।

- न्यायालय के अनुसार, **बंधुत्व के सदिधांत** का प्रयोग असमिया नागरिकों के एक समूह के लिये चुनदि रूप से नही कया जा सकता, जबकि दूसरे समूह को **"अवैध आप्रवासी"** करार दिया जा सकता है ।
- याचिकाकर्त्ता **NGO** ने न्यायालय में तर्क दिया कि धारा 6A अवैध आप्रवासियों को प्रवेश देकर और उनकी जनसांख्यिकी में बदलाव करके **असमिया लोगों के अपनी राजनीतिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने के अधिकार को खतरे में डालती है** ।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या है?

- बहुमत के साथ नरिणयः
 - **संवैधानिक वैधता की पुनः पुष्टि:** न्यायालय ने फैसला सुनाया कि **धारा 6A संवधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती है**, जसिमें पूरवी और पश्चिमी पाकसि्तान से आने वाले प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लयि **26 जनवरी, 1950** की तथि निरिधारति की गई है ।
 - धारा 6A अनुवर्ती तथि से लागू होती है, अतः यह पूरवर्ती संवैधानिक प्रावधानों से अलग कार्य करती है ।
 - **24 मार्च, 1971 तक की समय सीमा सही है** । क्योंकि पाकसि्तानी सेना ने 26 मार्च, 1971 को पूरवी पाकसि्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के लयि **ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कया था** ।
 - न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्त्ता यह साबति करने में असफल रहे कि धारा 6A के कारण **असमिया लोगों की अपनी संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता प्रभावति हुई है** ।
 - न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान पहले से ही असम के सांस्कृतिक और भाषाई हतियों की रक्षा करते हैं ।
 - **संघ की शक्ति:** संसद ने **अनुच्छेद 246** और **संघ सूची की प्रवष्टि 17** से प्राप्त शक्तियों के तहत धारा 6A को अधिनियमति कया, जो नागरिकता, प्राकृतिककरण और वदिशयों से संबन्धति है ।
 - **असम का वशिष नागरिकता कानून अनुच्छेद 14 (समानता)** का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि राज्य की प्रवासी स्थति शेष भारत से भनि थी ।
 - **मामले की पहचान:** न्यायालय ने इस बात पर सहमत वियकृत की है कि असम बांग्लादेश से लगातार हो रहे प्रवास के कारण गंभीर रूप से प्रभावति हुआ है ।
 - इस बात पर ज़ोर दिया गया कि एक राष्ट्र सतत् विकास पर ध्यान केंद्रति करते हुए तथा संसाधनों का न्यायसंगत वतिरण सुनिश्चित करते हुए **आप्रवासियों और शरणार्थियों को एक साथ समायोजति कर सकता है** ।
- **उत्तरदायतिव स्पष्ट करना:** इस बात पर बल दिया गया कि इस स्थति के लयि केवल धारा 6A को दोषी नही ठहराया जाना चाहयि ।

- वर्ष 1971 के बाद बांग्लादेश से आए आप्रवासियों का समय पर पता लगाने और उन्हें नरिवासति करने में सरकार की वफिलता इसका एक प्रमुख कारण थी।
- **व्यवस्था की आलोचना:** न्यायालय ने पाया कि असम में अवैध आप्रवासियों की पहचान करने हेतु ज़रिमेदार वर्तमान तंत्र और न्यायाधिकरण अपर्याप्त हैं।
 - ये प्रणालियाँ धारा 6A और संबंधित कानूनों, जैसे कि आप्रवासी (असम से नरिकासन) अधनियम, 1950 तथा वदिशी अधनियम, 1946 के समय पर प्रवर्तन के लिये पर्याप्त नहीं हैं।
- **नगरानी की आवश्यकता:** आव्रजन और नागरकता कानूनों के प्रवर्तन के लिये न्यायकि नगरानी की आवश्यकता होती है तथा इसे प्राधिकारियों के वविक पर नहीं छोड़ा जा सकता।
 - न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश से असम में इन कानूनों के कार्यान्वयन की नगरानी के लिये एक पीठ गठित करने को कहा।
- **असहमतपूरण राय:**
 - असहमतपूरण दृष्टिकोण: असहमतपूरण दृष्टिकोण ने धारा 6A को भावी प्रभाव से असंवैधानकि घोषित कर दिया, तथा इस चति को खारजि कर दिया कि विभिन्न जातीय समूह दूसरों के सांस्कृतकि और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करेंगे।
 - अप्रवासन और वकिस: असहमतपूरण जताते हुए कहा गया कि सतत् वकिस और जनसंख्या वृद्धि बिना संघर्ष के साथ-साथ चल सकते हैं।
 - अंतरराज्यीय आवागमन पर प्रतबिंध याचकिकर्त्ताओं की इस दलील को स्वीकार करने के परणामस्वरूप लगाया जा सकता है कि अप्रवासन से सतत् वकिस के स्थानीय अधिकार प्रभावित होते हैं।

नागरकता अधनियम 1955 की धारा 6A क्या है?

- **धारा 6A:**
 - इसे वर्ष 1985 के असम समझौते के बाद नागरकता (संशोधन) अधनियम, 1985 के भाग के रूप में अधनियमति कया गया था।
 - यह वधिषक 1 जनवरी, 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरकता प्रदान करता है।
 - जो लोग 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए, उन्हें कुछ नरिधारित प्रकरियाओं तथा शर्तों को पूरा करने के बाद नागरकता प्रदान की जा सकती है।
 - हालाँकि, यह धारा 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आये प्रवासियों को नागरकता प्रदान नहीं करती है।
- **असम समझौता:**
 - असम समझौता केंद्र सरकार, असम राज्य सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच एक त्रपिक्षीय समझौता था। इसका उद्देश्य बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के प्रवेश को रोकना था।
 - धारा 6A को असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरकता को संबोधित करने के लिये एक वशिष प्रावधान के रूप में अधनियमति कया गया था।
 - यह प्रावधान वर्ष 1971 के बांग्लादेश मुक्तसंग्राम से पहले बड़े पैमाने पर हुए प्रवास के मुद्दे को संबोधित करता है।
 - इसमें 25 मार्च, 1971 (बांग्लादेश के गठन का दिन) के बाद असम में प्रवेश करने वाले वदिशियों का पता लगाने और उन्हें नरिवासति करने का प्रावधान है।
 - धारा 6A का लागू होना इस महत्त्वपूर्ण अवधि के दौरान असम के सामने आई वशिषिट ऐतहासकि और जनसांख्यिकीय चुनौतियों को दर्शाता है।

इस नरिणय के नहितार्थ क्या हो सकते हैं?

- **आप्रवासी मान्यता:** धारा 6A को बरकरार रखते हुए, नरिणय बांग्लादेश से आए आप्रवासियों (25 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले) को कानूनी संरक्षण और नागरकता अधिकार प्रदान करता है।
 - इससे बांग्लादेश मुक्तसंग्राम में वसिथापति हुए लोगों की सुरक्षा के प्रत भारत की प्रतबिद्धता मज़बूत होती है।
- **असमिया पहचान संरक्षण:** बहुमत के साथ न्यायालय द्वारा इस धारणा को खारजि कर दिया गया कि आप्रवासियों की उपस्थिति स्वचालित रूप से असमिया लोगों के सांस्कृतकि और भाषाई अधिकारों का उल्लंघन करती है।
 - इसका तात्पर्य यह है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बावजूद, असमिया समुदाय के अधिकार मौजूदा संवैधानकि सुरक्षा प्रावधानों (अनुच्छेद 29 (1)) के माध्यम से संरक्षित हैं, कसिके तहत उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की अनुमति प्राप्त है।
- **जनसांख्यिकीय बदलाव पर दबाव:** आलोचकों के अनुसार, असम की सांस्कृतकि पहचान और वत्तीय संसाधन खतरे में हैं, क्योकि नरितर अप्रवासन के कारण राज्य के जनसांख्यिकीय संतुलन पर दबाव पड़ रहा है।
 - इससे स्थानीय स्तर पर सख्त अप्रवासन कानूनों की मांग या यहाँ तक कि सांस्कृतकि संरक्षण के लिये राजनीतिक सक्रयिता को भी बढ़ावा मलि सकता है।
- **संसाधन आवंटन:** आप्रवासी नागरकता और इसके साथ आने वाले संसाधनों तथा अधिकारों के लिये पात्र बने रहेंगे, जसिसे असम के पहले से ही सीमित आर्थकि संसाधनों पर दबाव और बढ़ सकता है।
 - इसके लिये समान संसाधन वतिरण सुनिश्चित करने तथा आर्थकि असमानताओं को रोकने के लिए अधिक मज़बूत नीतियों की आवश्यकता हो सकती है।
- **अप्रवासन कानूनों पर दबाव:** नरिणय में अप्रवासन कानूनों के अधिक प्रभावी कर्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया है, वशिष रूप से वर्ष 1971 की नरिधारित तर्था के बाद प्रवेश करने वाले अवैध अप्रवासियों का पता लगाने और उन्हें नरिवासति करने पर।
- **बांग्लादेश संबंध:** वर्ष 1971 के बाद के प्रवासियों को भारतीय नागरकि के रूप में मान्यता न देने से, इस नरिणय से बांग्लादेश के साथ तनाव बढ़ सकता है, क्योकि इसे भारत द्वारा इन प्रवासियों के लिये अपने पड़ोसी पर ज़रिमेदारी डालने के रूप में देखा जा सकता है, जसिसे संभावित रूप से राजनयकि संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है।
 - इस नरिणय से सीमा प्रबंधन, प्रवासन नरितरण और सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग प्रभावित हो सकता है, तथा भारत-बांग्लादेश संबंध जटलि

हो सकते हैं।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले का असम पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिये। यह फैसला मानवीय चिंताओं और स्थानीय विकास चुनौतियों के बीच किस तरह संतुलन स्थापित करता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि:

1. केवल एक नागरकिता और एक नविस स्थान का प्रावधान है।
2. एक नागरकि जन्म से ही राज्य का मुखिया बन सकता है।
3. एक बार नागरकिता प्राप्त करने वाले वदिशी को कसि भी परसिथति में इससे वंचति नहीं कयि जा सकता है।

उपरयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) 1 और 3
(D) 2 और 3

उत्तर: (A)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-upholds-section-6a-of-citizenship-act>

